

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 03.04.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.भूपेश कुमार यादव पुत्र इन्द्रास यादव सा0 धुरिहट थाना बरहज, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 44शीशी बंटी-बबली अवैध देशी शराब (प्रत्येक 180 एमएल) बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.बालेश्वर यादव पुत्र स्व0 श्रीभगवान यादव सा0 पुराना बरहज थाना बरहज देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की जैरिकेन में 20 लीटर अवैध नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.गबू पुत्र रामधनी सा0 लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची नाजायज शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.रुदल पुत्र भुखल साहनी सा0 कोइलगढ़हा बिचला टोला थाना रुद्रपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज तमंचा के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 04.04.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर हनुमानगंज चौराहा पथरदेवां से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.अम्बरीश पाण्डेय पुत्र उदयभान सा0 रामगुलाम टोला थाना कोतवाली, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद करते हुये कोतवाली पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 03.04.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति ग्राम पथरदेवां के दक्षिण तरफ स्थित उपेन्द्र प्रसाद के बाग में जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ 06 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.नित्यानन्द पुत्र शोभनारायण 02.लव प्रसाद पुत्र रामनारायण 03.सुनील विश्वकर्मा पुत्र विश्वबन्धू 04.राजू चौहान पुत्र सुदामा 05.नागेश्वर चौहान पुत्र आनन्द 06.दुर्गेश चौहान पुत्र आनन्द बताये व उनके कब्जे से 52 ताश के पते व मालफड से कुल 660 रुपया व जामा तलाशी के कुल 910 रुपये बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना तरकुलवा पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

04.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **03.04.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

- ➡ **थाना-कोतवाली-** मु0अ0सं0-189/2021 धारा 354,452,323 भादवि 01-सुगन यादव पुत्र लोरिक यादव सा0 रानीघाट थाना कोतवाली, देवरिया।
- ➡ **थाना-महुआडीह-** मु0अ0सं0-40/2021 धारा 147,186,323,504,506,342,353,427 भादवि व 7सीएलए ऐक्ट 01-रोहित पुत्र मुनीब गिरि सा0 भखलिया थाना कसया जनपद कुशीनगर। 02-राम भरोसे गिरि पुत्र राजमंगल 03-आकास गिरि पुत्र कन्हैया 04-रेशमती देवी पत्नी रामभरोसे गिरि सा0 गोसाई टोला, हेतिमपुर थाना महुआडीह, जनपद देवरिया।
- ➡ **थाना-भाटपाररानी-** मु0अ0सं0-35/2021 धारा 457,380,411 भादवि 01-रामचन्द्र उपाध्याय पुत्र दिग्विजय उपाध्याय सा0 बरौना थाना बरहज जनपद देवरिया।

05-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 03.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

- ➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 27 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।
- ➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 3/4 गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत 07 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

06-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 03.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

- ➡ वाहन चेकिंग के दौरान 92 वाहनों से 91500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।